कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग कोटा खण्ड कोटा

प्रमाण–पत्र

एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे वर्णित सार्वजनीन प्रन्यास राजस्थान सावजनीन प्रन्यास अधिनियम अधिनियम 1959 [1959 का 42] के अधीन सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग कोटा खण्ड कोटा के कार्यालय में आज दिन के दिन यथावत रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है।

सार्वजनिक प्रन्यास का नाम आरिहन्त ऐजुकेशनल एण्ड चैरीटेबल ट्रस्ट नवरंग होटल नयापुरा कोटा (राज.)

सार्वजनिक प्रन्यास के रजिस्टर में संख्या 219

प्रमाण–पत्र श्री विपीन कुमार लोढ़ा संस्थापक सदस्य को दिया गया।

मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 7 मास 10 सन् 2006 को दिया गया।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग कोटा खण्ड कोटा